

2025/393

235/2025  
पञ्जाब के राज अधिनियम-2021

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
उपखण्ड 11वां जिला डीडवाना बुचाभन  
विषय: राजस्व रेकॉर्ड दुरस्ती बाबत अन्तर्गत राजस्थान मू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136।  
धारा: पटवारी पटवार हल्का गुडासाल  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व रेकॉर्ड में अशुद्ध है जिसका विवरण निम्नानुसार है -

भूमि का विवरण	जमाबंदी में प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि को अन्तरलाईन करे)	की जाने वाली शुद्ध प्रविष्टि का विवरण
पटवार हल्का <u>गुडासाल</u>	<u>गौरादेवी पत्नी केशन राम</u>	<u>गोदानी पत्नी केशन राम</u>
राजस्व नाम <u>गुडासाल</u>		
स्वाता संख्या <u>42</u>		
राजस्व संख्या <u>166</u>		
रकबा हेक्टेयर में <u>0.53</u>		

संलग्न दस्तावेज (संलग्न दस्तावेज पर टिक का निशान लगाए) -

1. अशुद्धि होने से तुरन्त पहले की जमाबंदी/नक्शा
2. अशुद्धि के बाद की वर्तमान जमाबंदी/नक्शा
3. एभावित नामान्तरण की सत्यप्रति
4. हिरते संबंधी अशुद्धि होने पर मजले आम में हल्का पटवारी द्वारा तैयार सजुदा / वंशावली
5. प्राप्ती द्वारा वंशावली के संबंध में शपथ पत्र।

कुल संलग्नक संख्या:- .....

गोदानी  
हस्ताक्षर आवेदक

हल्का पटवारी व मू.अ.नि. की टिप्पणी मया रूपत अनुशशा (सपोर्टेड दरतावेजों की जांच उपरान्त) महोदय जी द्वारा  
की जमाबंदी में गौरादेवी दर्ज है जबकि इसकी पहचान दस्तावेजों में गोदानी दर्ज है  
अतः खारा सं. 42 में गौरादेवी के स्थान पर गोदानी दर्ज करने हेतु रिपोर्ट के तहत पत्र है

मू.अ. निरीक्षक महोदय  
तहसीलदार की टिप्पणी :-

महोदय  
हस्ताक्षर पटवारी प-2361गाट  
21/06/25  
हस्ताक्षर तहसीलदार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ जिला डीडवाना-बुचाभन  
क्रमांक/राजस्व/धारा 136/2021/ दिनांक-27.6.25

आदेश  
प्राप्ती गोदानी निवासी गुडासाल को आवेदन तथा हल्का पटवारी व मू. अ.नि.के निरीक्षक एवं तहसीलदार की रिपोर्ट संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में हुई अशुद्धि को राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्त आवेदन पत्र के सारणी के बिन्दु सं. 3 में अंकित प्रविष्टि अनुसार शुद्धि की कार्यवाही कर तहसीलदार कुम्भलगढ़ राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरमद कर पालना से असौहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया।

उपखण्ड अधिकारी  
दिनांक-27.6.25

क्रमांक/राजस्व/धारा 136/2021/

प्रतिनिधि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. तहसीलदार माना को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावे गुडासाल
2. हल्का पटवारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. प्राप्ती / आवेदक गोदानी को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी